यू0पी0सी0

पत्रांक 13 /ग्रा0वि0
। स्था ॥ रा0प0 ॥ सूचना ॥ 13/2007
बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग ।
-:00:-

पटना, दिनांक 2/1/08

प्रेषक,

श्री अजय कुमार सिंहा,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- पंचायत एवं प्रखंड स्तर के कर्मियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन का प्रशिक्षण ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य सूचना आयोग के ज्ञापांक-1546 दिनांक 18.12.07 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि दिनांक 7.12.07 को राज्य सूचना आयोग के तत्वाधान में सूचना का अधिकार समस्या एवं समाधान विषय परआयोजित गोष्ठी में विचारविमर्श के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत सरकारी कर्मियों में अधिनियम के विषय में जानकारी का अभाव है, जिससे अधिनियम का उपयोग ग्रामीण जनता द्वारा कम किया जा रहा है ।

राज्य सूचना आयोग द्वारा निदेश दिया गया है कि पंचायत एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को तदनुसार प्रशिक्षित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय ।

अतएव राज्य सूचना आयोग के पत्र के आलोक में पंचायत एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये अपने स्तर से आदेश देना चाहेंगे ।

अनु0 यथोक्त

विश्वासभाजन,

सरकार के उप सचिव ।